



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/28

02/05/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: वर्ष 2025 के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक की सभी उद्योग दरों (एआईआर) की समीक्षा के लिए दृश्य/सुझाव और डेटा के लिए अनुरोध

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत सरकार निर्यात के लिए निर्मित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की घटनाओं के संदर्भ में वर्ष 2025 के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक की सभी उद्योग दरों (एआईआर) की समीक्षा करने का प्रस्ताव करती है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने आदेश एफ.सं. 14609/22/2025-डीबीके दिनांक 02.04.2025 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक दरों के निर्धारण के लिए एक समिति गठित की है।

उचित ड्यूटी ड्रॉबैक दरों की गणना करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संलग्न एक्सेल शीट में प्रासंगिक निर्यात उत्पादों का डेटा प्रदान करें।

डेटा प्रदान करते समय सदस्यों को निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए:

1. प्रदान किया गया डेटा **1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024** की अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए पूरा होना चाहिए। किसी विशेष निर्मित निर्यात वस्तु के लिए, उस विशेष निर्यात वस्तु के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट का विवरण दर्शाया जाना चाहिए।

2. शुल्क का भार केवल इनपुट पर सीमा शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्य करों/शुल्कों जैसे कि IGST, CGST, SGST, एंटी-डंपिंग/सुरक्षा शुल्क, अन्य राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र कर आदि का भार शुल्क वापसी योजना के प्रयोजनों के लिए शुल्कों के भार की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

3. प्रस्तुत किया गया डेटा, जहाँ तक संभव हो, किसी विशेष उत्पाद के लिए छोटे, मध्यम और बड़े निर्माता निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात का प्रतिनिधि होना चाहिए।

4. उपलब्ध कराए गए डेटा (पीडीएफ) को संबंधित निर्माताओं और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और इसकी एक्सेल फाइल भी भेजी जानी चाहिए।

5. डेटा को आयातित इनपुट के बिल ऑफ एंट्री, निर्यात उत्पाद के शिपिंग बिल, संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क चालान आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे 15 मई, 2025 तक डेटा dbk.dbk@gov.in पर जमा करें और उसकी प्रतिलिपि bharti@plexconcil.org anirudha@plexconcil.org पर भेजें।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद